"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012— आश्विन 20, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निशा श्रीवास्तव पति श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, निवासी-न्यू शांति नगर, पो. शंकर नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं विवाह पूर्व जैबुन निशा खान पिता नूर मोहम्मद खान के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में यही नाम अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 24-12-1979 को नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पिता पन्ना लाल श्रीवास्तव के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती निशा श्रीवास्तव पति श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब से मुझे श्रीमती निशा श्रीवास्तव पति श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कु. जैबुन निशा खान
(JAIBUN NISHA KHAN)
पिता - नूर मोहम्मद खान

नया नाम

श्रीमती निशा श्रीवास्तव
पति- श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
निवासी- न्यू शांति नगर
पो.-शंकर नगर, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सनद कुमार आ. स्व. जैमंगल सिंह, जाति-गोंड़, उम्र-49 वर्ष, निवासी-एफ-पाकेट, मरोदा सेक्टर, क्वा. नं. 18ए, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई स्टील प्लांट के एस. एम. एस.-I (टी. टी. एस.) डिपार्टमेन्ट में सीनियर आपरेटिव/टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं. तथा मेरा पर्सनल नं. 145255 है. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा उपनाम (सरनेम) अंकित नहीं हैं, मैं अपने उपनाम "राज" को समस्त अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सनद कुमार राज पिता स्व. जैमंगल सिंह राज के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सनद कुमार आ. - स्व. जैमंगल सिंह निवासी- एफ - पाकेट मरोदा सेक्टर, क्वा. नं.-18 ए भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सनद कुमार राज आ. - स्व. जैमंगल सिंह राज निवासी- एफ - पाकेट मरोदा सेक्टर, क्वा. नं.-18 ए भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 4 सितम्बर 2012

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिए]

क्रमांक 2179/वाचक-1/2012.— यह कि श्री राजेश कुमार अग्रवाल आ. स्व. हुकुमचन्द अग्रवाल, निवासी-एम. जी. रोड, पंजाब गार्डन के पीछे भगवानपुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति क पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05-10-2012 को विचार के लिए लिया जाएगा.

अत: मैं, बी. एस. उइके, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05-10-2012 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री श्याम सेवा मण्डल लोक न्यास, पी. जी. कालेज के सामने, अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.
2.	चल संपत्ति	:	रुपये 6000.00 (छ: हजार मात्र)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

बी. एस. उइके,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं अंबिकापुर, जिला-सरगुजा

अंबिकापुर, दिनांक 20 सितम्बर 2012

[छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2012/885.— सतगुरू बुनकर सहकारी समिति मर्या., केदारपुर, पंजीयन क्रमांक 2065 दिनांक 07-03-2001 को इस कार्यालय के सूचना क्रमांक परिसमापन/2012/813 अंबिकापुर दिनांक 01-09-2012 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत " कारण बताओ सूचना - पत्र " दिया गया था, निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है.

अत: मैं, ए. के. मिंज, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, अंबिकापुर, छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतगुरू बुनकर सहकारी समिति मर्या., केदारपुर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री ओ. पी. गढ़ेवाल , सहा. हाथकरघा निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. मिंज,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1293.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा परलकोट युवा विकास सहकारी समिति मर्या., पखांजूर, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 341 दिनांक 02-01-1995 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1294.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पी. व्ही. 122, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 240 दिनांक 06-07-1990 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1295.— इस कार्यालय के आदेश क्र./722 दिनांक 09-11-2009 के द्वारा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., परतापुर, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 329 दिनांक 25-03-1964 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1296.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा शक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पी. व्ही. 125, तहसील-पखांजूर, जिला- कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 433 दिनांक 29-12-1997 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1297.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा महिला उन्नयन बहु. सहकारी समिति मर्या., पी. व्ही. 104, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 464 दिनांक 07-12-2002 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं [illegible] निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

[illegible]: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के [illegible] की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

[illegible] 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया [illegible]

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1298.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पी. व्ही. 34, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 322 दिनांक 29-03-1993 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1299.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा बस्तर ग्रामीण युवा विकास सहकारी समिति मर्या., बांदे, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 340 दिनांक 19-12-1994 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपंकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1300.— इस कार्यालय के आदेश क्र./722 दिनांक 09-11-2009 के द्वारा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कडमे, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 482 दिनांक 25-03-1964 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1301.— इस कार्यालय के आदेश क्र./722 दिनांक 09-11-2009 के द्वारा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कोयलीबेड़ा, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 428 दिनांक 25-03-1963 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2012/1302.— इस कार्यालय के आदेश क्र./730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा अमरज्योती महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पखांजूर, पी. व्ही. 116, तहसील-पखांजूर, जिला-कांकेर जिसका पंजीयन क्र. 469 दिनांक 22-05-2003 है, को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पखांजूर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला-कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग, रायपुर के अधिसूचना क्र. 7-3/सह./15/2426 दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एन. आर. के. चन्द्रवंशी,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-7-2012

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. खरीफ फसल की जुताई, बोनी व रोपाई कार्य का जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	..		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
4. तिल्दा	..				
* **जिला-बलौदाबाजार**	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
* **जिला-गरियाबंद**	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिंगेश्वर (राजिम)	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
* **जिला-महासमुन्द**	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बसना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सरायपाली	..		(2) ..		
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	109.6	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. नगरी	200.6		4 (1) ..	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	95.6		(2) ..		
4. मगरलोड	182.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	2.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण एवं रोपाई का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	2.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..		(2) ..		
* **जिला-बेमेतरा**	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बेरला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. साजा	..		(2) ..		
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
* **जिला-बालोद**	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. डोंडी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. डौंडी लोहारा	..		(2) ..		
4. गुरूर	..				
5. गुंडरदेही	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	46.6	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण. रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
2. डोंगरगांव	26.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	49.4		(2) ..		
4. छुईखदान	89.5				
5. डोंगरगढ़	35.0				
6. मानपुर	251.6				
7. मोहला	201.3				
7. अम्बागढ़	143.4				
9. छुरिया	121.6				
* **जिला-कबीरधाम (कवर्धा)**	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बोड़ला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. पण्डरिया	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	210.3	2. धान की बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. तोकापाल	162.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. दरभा	190.1		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
4. बस्तर	90.4				
5. बकावण्ड	180.7				
6. बास्तानार	142.5				
7. लोहण्डीगुडा	218.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
***जिला-कोण्डागांव**	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बड़ेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
***जिला-नारायणपुर**	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	..		4. (1) ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रमतिल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	..				
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
6. दुर्गकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुअर, मूंग, सांवा, रागी, कोदो, कुल्थी, अम्बाड़ी की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	..				
4. कुआकोण्डा	..				
			(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
***जिला-सुकमा**	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. कोंटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छिन्दगढ़	..		(2) ..		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	..		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
4. उसूर	..				
***जिला-बिलासपुर**	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. कोटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पेन्ड्रारोड	..		(1) ..		
4. पेन्ड्रा	..				
5. बिल्हा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मस्तुरी	..				
7. मरवाही	..				
8. तखतपुर	..				
***जिला-मुंगेली**	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पथरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. लोरमी	..		(2) ..		
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	123.4	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चांपा	124.3	रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	85.4		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	54.5				
5. डभरा	38.5				
6. नवागढ़	107.3				
7. जैजैपुर	78.2				
8. अकलतरा	86.6				
9. बलोदा	186.4				
10. मालखरौदा	109.9				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	45.7	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	46.8	कार्य जारी है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	119.4		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	56.6				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
***जिला-सरगुजा**	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुण्ड्रा	..				
7. मैनपाट	..				
***जिला-सूरजपुर**	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओड़गी	..				
***जिला-बलरामपुर**	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. .	7. ..
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) ..	6. .	8. ..
3. वाड्रफनगर	..		(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) मक्का, धान, कोदो-कुटकी, उड़द, अरहर, कुल्थी की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. खडगंवा	..				
5. भरतपुर	..				
*** जिला-रायगढ़**	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पुसौर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. धरमजयगढ़	..		(2) ..		
4. तमनार	..				
5. सारंगढ़	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. खरसिया	..				
8. बरमकेला	..				
9. लैलूंगा	..				
*** जिला-जशपुर**	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. मनोरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बगीचा	..		(2) ..		
4. पत्थलगांव	..				
5. कांसाबेल	..				
6. कुनकुरी	..				
7. दुलदुला	..				
8. परसाबहार	..				

टीप.— * जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम (कवर्धा), कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,
सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.